माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर केम्प उज्जैन

प्र०क्र०   /अपील/2014

बाबुखां पिता मजीदखां जाति मेवाती, आयु 65 वर्ष
धन्धा खेती, निवासी अंचेरी तहसील व जिला मन्दसौर ------ आवेदक

विरूद्ध

01- शकूरखां पिता मजीदखां मेवाती,
02- रूस्तम पिता मजीदखां मेवाती,
दोनों का धंधा खेती, दोनों निवासी ग्राम गल्याखेड़ी
तहसील एवं जिला मन्दसौर ---
03- म0प्र0 शासन ------- अनावेदकगण

निगरानी प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता
विरूद्ध आदेश दिनांक 27-12-13 प्र0क्र0 85/अपील/12-13
(शकूरखां विरूद्ध बाबुखां आदि) आदेश पारित द्वारा श्रीमान
अनुविभागीय अधिकारी महोदय उपखण्ड मन्दसौर (म0प्र0)

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी प्रार्थनापत्र निम्नवत प्रस्तुत है:-

(1) यहकि माननीय अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय मन्दसौर के न्यायालय में ग्राम मालियाखेड़ी तहसील मन्दसौर के सर्वे नम्बर 274 जिसका पुराना नम्बर 251 रकबा 0.64 आरी भूमि के संबंध में उभयपक्ष के मध्य बंटवारे का प्रकरण चला । जिसमें तहसीलदार महोदय द्वारा अवैध बंटवारा आदेश कर दिया था । जो प्रकरण क्र0 39/अ 27/2005-06 नवीन नम्बर 29/अ 27/2006-07 में दिनांक 18-09-07 को आदेश पारित किया था । इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने अनुविभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष अपील प्रस्तुत करी जो प्र0क्र0 43/अपील/07-08 तथा प्रकरण क्रमांक 41/अपील/07-08 प्रस्तुत की गई । उक्त अपील निरस्त होने पर अपीलार्थी ने द्वितीय अपील क्र0 255 व 256 वर्ष 08-09 अपर आयुक्त महोदय को प्रस्तुत करी । जहां अपीलार्थी की द्वितीय अपील स्वीकार हुई, और उन्होंने तहसील न्यायालय और अनुविभागीय अधिकारी ...

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1042-एक/14 **जिला** - मंदसौर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ए.आर. यादव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27.3.19 को कलेक्टर, जिला मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	